भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 430

दिनांक 21.07.2026 को उत्तरार्थ

पंचायत समिति तथा जिला परिषद

†430. डॉ. थोल तिरूमावलवनः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ग) क्या सरकार के पास पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों द्वारा कार्यान्वित सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं का ब्यौरा यदि कोई हो, उपलब्ध है, और
(घ) यदि हाँ, तो कार्यान्वित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों कों, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल हैं, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का

अधिकार देता है। राज्य के विधानमडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, पंचायतों के सभी कार्य, जिनमें सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करना और क्रियान्वयन करना आदि भी शामिल है, संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं, की सीमा पर निर्भर करता है।

यह मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे धन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है और विलंब कम होता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, देश भर की 2,55,254 ग्राम पंचायतों, 6149 ब्लॉक पंचायतों तथा 594 जिला पंचायतों ने क्रमशः अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी), ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) और जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) अपलोड की हैं।

इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान के तहत ग्राम पंचायतें (जीपी) स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के नौ विषयों के अनुरूप सहभागी विकास योजनाएं तैयार करती हैं, जिसमें 'सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम' विषय भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6428 जीपी ने 'सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम' विषय पर संकल्प लिया है। सामाजिक रूप से सुरक्षित जीपी विषय (2025-26) पर जीपी द्वारा लिए गए राज्यवार संकल्प का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 21.07.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुबंध

सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत विषय पर ग्राम पंचायतों द्वारा राज्यवार संकल्प (2025-26)

राज्य	कुल ग्राम पंचायत	'सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत' विषय की संखिया
आंध्र प्रदेश	13326	37
अरुणाचल प्रदेश	2108	4
असम	2657	0
बिहार	8052	100
छत्तीसगढ़	11693	360
गोवा	191	1
गुजरात	14621	6
हरियाणा	6230	270
हिमाचल प्रदेश	3615	1
झारखंड	4347	12
कर्नाटक	5949	75
केरल	941	5
मध्य प्रदेश	23011	1002
महाराष्ट्र	27998	126
मणिपुर	3811	0
मेघालय	7020	0
मिजोरम	854	0
नागालैंड	1327	0
ओडिशा	6794	49
पंजाब	13236	173
राजस्थान	11071	2243
सिक्किम	199	1

तमिलनाडु	12480	580
तेलंगाना	12760	10
त्रिपुरा	1194	3
उत्तर प्रदेश	57695	944
उत्तराखंड	7812	35
पश्चिम बंगाल	3339	391
कुल	**264331**	**6428**